

एफ. सं.385/05/2010-आईटी (ख)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

विषय: आकलन वर्ष 2010-11 के लिए "अग्रिम कर" के विरुद्ध "फ्रिज लाभों के संबंध में अग्रिम कर" का समायोजन – के संबंध में मामला।

.....

वित्त अधिनियम, 2005 ने आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XII ज (धारा 115 ब से 115 बठ) में निहित कुछ अनुषंगी लाभों के मूल्य पर फ्रिज लाभ कर (एफबीटी) नामक एक लेवी की शुरुआत की। वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2010-11 से एफबीटी को समाप्त करने के लिए एक नई धारा 115 बड सम्मिलित की गई। नतीजतन, कर्मचारियों को दिए गए लाभों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड 2 में संशोधन के संदर्भ में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ या अनुलाभ के रूप में कर लगाया जाता है। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कुछ करदाताओं ने आकलन वर्ष 2010-11 के लिए "फ्रिज लाभ के संबंध में अग्रिम कर" का भुगतान किया है। ऐसे मामलों में बोर्ड ने निर्णय लिया है कि वित्त वर्ष 2010-11 के लिए "फ्रिज लाभों के संबंध में भुगतान किए गए अग्रिम कर" की किसी भी किस्त को वित्त वर्ष 2010-11 के लिए संबंधित करदाता द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम कर के रूप में माना जाएगा। 2010-11. करदाता ऐसी राशि को वित्त वर्ष 2010-11 के लिए आय के संबंध में अपने अग्रिम कर दायित्व के विरुद्ध समायोजित कर सकता है या हानि आदि के मामले में ऐसे भुगतान को वित्त वर्ष 2010-11 में भुगतान किए गए अग्रिम कर के रूप में रिफंड के रूप में दावा कर सकता है। 2010-11.

2. इस परिपत्र को अनुपालन हेतु क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

अनुसरण हेतु हिंदी अनुवाद

(अंशुमान पटनायक)

को प्रतिलिपि प्रेषित करें:-

1. सीबीडीटी में अवर सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य कार्यालय।

2. सभी मुख्य आयुक्त और आयकर के महानिदेशक
3. त्रैमासिक कर बुलेटिन में मुद्रण और उनकी सामान्य मेलिंग सूची के अनुसार संचलन के लिए डीआईटी (पीआर, पीपी और ओएल) को 100 प्रतियां।
4. डीआईटी (पुनर्प्राप्ति), डीआईटी (प्रणाली), डीआईटी (डीओएमएस), डीआईटी (सतर्कता) और डीआईटी (आईटी)।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (40 प्रतियाँ)
6. गार्ड फ़ाइल।

(अंशुमान पटनायक)  
निदेशक (बजट)